पत्रांक– वित्त–7 / विविध–2003 / 2009......1722......वि०

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड।

रॉंची, दिनांक–...17.... जुलाई, 2025

विषयः **मोबाईल फोन की सुविधा से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1855, दिनांक 31.07.2024 के संबंध में स्पष्टीकरण।**

प्रसंगः **विभागीय संकल्प संख्या 1855 / वि०, दिनांक 31.07.2024 एवं संकल्प संख्या 1631, दिनांक 08.07.2025 तथा पत्रांक 802 दिनांक 28.03.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1855 / वि०, दिनांक 31.07.2024 का कृपया संदर्भ लिया जाय जिसके द्वारा राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिये मोबाइल फोन एवं रिचार्ज कूपन की अनुमान्यता निर्धारित की गयी है।

उक्त संकल्प के क्रम में राजपत्रित पदाधिकारियों की श्रेणी को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए सभी विभाग / कार्यालय में पदस्थापित / कार्यरत Pay Matrix Level-9 से न्यून श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए अनुमान्य मोबाईल फोन क्रय एवं रिचार्ज कूपन की सुविधा को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय वित्त विभागीय पत्रांक 802, दिनांक 28.03.2025 द्वारा संसूचित किया गया है।

वित्त विभाग के संकल्प सं० 1631 / वि०, दिनांक 08.07.2025 द्वारा Pay Matrix Level-9 से न्यून राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए मोबाईल सेट क्रय तथा रिचार्ज कूपन की अधिसीमा को संशोधित करते हुए क्रमशः रू०–25,000 / – एवं रू०–500 / – प्रतिमाह विनिश्चित करने संबंधी राज्य सरकार का निर्णय संसूचित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्त विभागीय पत्रांक 802, दिनांक 28.03.2025 को संकल्प सं० 1631 / वि०, दिनांक 08.07.2025 के निर्गत होने की तिथि से आहरित (Withdraw) किया जाता है।

विश्वासभाजन

16/07/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

G:\prarup.doc

संख्या :– वित्त–7/विविध–2003/2009 1631 /वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक 08/07/2025

संकल्प

विषय :– मोबाइल फोन की सुविधा के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1855/वि0 दिनांक 31.07.2024 द्वारा राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिये मोबाइल फोन एवं रिचार्ज कूपन की अनुमान्यता के संबंध में निर्णय संसूचित है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका–5 जिसमें विभिन्न पदों के लिए मोबाइल सेट की अधिसीमा एवं रिचार्ज कूपन की अधिसीमा निर्धारित की गयी है, में अवर सचिव/सहायक निदेशक (निदेशालय मुख्यालय में)/प्रधान आप्त सचिव/कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य सभी राजपत्रित पदाधिकारी के लिए मोबाइल सेट की अधिसीमा रू० 30,000/– एवं रिचार्ज कूपन की अधिसीमा रू० 750/– प्रतिमाह विनिश्चित है।

3. उक्त संकल्प में राजपत्रित पदाधिकारियों की श्रेणी को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न विभागों से वित्त विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

4. अतः सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1855/वि0 दिनांक 31.07.2024 की कंडिका–5 में अंकित 'अन्य सभी राजपत्रित पदाधिकारी' को 'राजपत्रित पदाधिकारी (Pay Matrix Level-9 से अन्यून)' से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

5. उपर्युक्त संकल्प की कंडिका–5 की तालिका के अंत में निम्न पंक्ति अंतःस्थापित करने का निर्णय लिया गया है –

पद जिन्हें मोबाईल अनुमान्य है	मोबाईल सेट की अधिसीमा	रिचार्ज कूपन की अधिसीमा
Pay Matrix Level-9 से न्यून राजपत्रित पदाधिकारी	रू0 25,000/–	रू० 500/– प्रतिमाह

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1855/वि0 दिनांक 31.07.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1407/वि० दिनांक 18.06.2025 के क्रम में दिनांक 20.06.2025 की बैठक में मद संख्या–14 में प्राप्त है।

08/07/25

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–वित्त–7/विविध–2003/2009 1631 /वि राँची, दिनांक 08/07/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/07/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–वित्त–7/विविध–2003/2009 1631 /वि राँची, दिनांक 08/07/2025

प्रतिलिपि :– माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/राज्य सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/अवर सचिव (लेखा), वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/07/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–वित्त–7/विविध–2003/2009 1631 /वि राँची, दिनांक 08/07/2025

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, e-gazette, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को संकल्प की soft copy (Unicode Font में) संलग्न करते हुए e-gazette के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/07/25

सरकार के सचिव

G:\prarup.doc